समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

किसान पेंशन भरण पोषण अनुदान (पेंशन का प्रार्थना पत्र)

नवीनतम फोटो जो ग्राम प्रधान/ सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत/ ग्राम पंचायत अधिकारी से सत्यापित

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पता .....

   ग्राम/मौहल्ला ..... पोस्ट .....

   विकासखण्ड ..... तहसील ..... जनपद-हरिद्वार
4. जन्मतिथि/आयु ..... (रजिस्टर भाग दो/फोटो पहचान पत्र/शैक्षिक अभिलेख के आधार पर)
5. (1) डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक का नाम एवं पता .....

   .....

   (2) खाता संख्या

   (3) IFS Code No.

   (4) डाकघर/बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति (अनिवार्य रूप से संलग्न करें।)
6. कृषि योग्य भूमि का विवरण–

   (1) कुल कृषि भूमि ..... (भूमि सम्बन्धी प्रमाण राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित संलग्न करें।)
7. 10/- रु0 के नॉन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं कृषि करने तथा अन्य योजना से लाभ न लेने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं ..... घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। किसी भी असत्य या छिपायी गयी सूचना हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी किसी भी बिन्दु पर असत्य सूचना के लिये मैं पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशि को भू-राजस्व के रूप में राजकोष में जमा करूंगा/करूंगी।

दिनांक .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. श्री/श्रीमति ..... जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु की है, किसान पेंशन हेतु आवेदन किया जाता है।
2. श्री/श्रीमति ..... के पास 02 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है।

लेखपाल के हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
के हस्ताक्षर व मुहर

तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मुहर